

## महिला आरक्षण वधियक 2023

### प्रलिस के लयः

संसद और राज्य वधिसभाएँ, दललल को वशष दरजा, आरक्षण प्रावधान और सकारात्मक नीतयलँ

### मेन्स के लयः

लोकसभा और राज्य वधिसभाओं के लयः आरक्षण प्रावधानों के बीच अंतरसंबंध, अन्य राज्य वधिसभाओं और दललल वधिसभा के बीच अंतर

[सरोतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)

### चरचा में कयों?

हाल ही में [लोकसभा](#) और [राज्यसभा](#) दोनों ने **महिला आरक्षण वधियक 2023 (128वाँ संवैधानक संशोधन वधियक)** अथवा नारी शक्तवदन अधनलयम पारत कर दयल ।

- यह वधियक लोकसभा, राज्य वधिसभाओं और दललल वधिसभा में **महलाओं के लयः एक-तहलई सीटें आरक्षण करतल है** । यह लोकसभा और राज्य वधिसभाओं में अनुसूचतल जातल तथा अनुसूचतल जनजातल के लयः आरक्षण सीटों पर भी लागू हलगा ।

### वधियक की पृष्ठभूमल और आवशयकतल:

- पृष्ठभूमल:**
  - महला आरक्षण वधियक पर चरचा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बहलरल वाजपेई के कार्यकाल से ही की जातल रहल है ।
    - चूँकल तलकालीन सरकार के पास बहुमत नहल था, इसलयः वधियक को मंजूरी नहल मलल सकल ।
  - महलाओं के लयः सीटें आरक्षण करने हेतु कयः गए प्रयासः:
    - 1996:** पहला महला आरक्षण वधियक संसद में पेश कयल गयल ।
    - 1998 - 2003:** सरकार ने 4 अवसरों पर वधियक पेश कयल लेकनल पारतल कराने में असफल रहल ।
    - 2009:** वधलनन वरलधों के बीच सरकार ने वधियक पेश कयल ।
    - 2010:** केंद्रीय मंत्रमंडल और राज्यसभा द्वारा पारतल ।
    - 2014:** वधियक को लोकसभा में पेश कयल जाने की उम्मीद थल ।
- आवशयकतल:**
  - लोकसभा में 82 महला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 महलाएँ (13%) हैं ।
    - जबकल पहलल लोकसभा (5%) के बाद से यह संख्या काफी बढी है लेकनल **कई देशों की तुलनल में अभी भी काफी कम है** ।
  - हाल के संयुक्त राष्ट्र महला आँकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), कयूबा (53%), नकरलगुआ (52%) महला प्रतनलधतलव में शीर्ष तीन देश हैं । महला प्रतनलधतलव के मामले में **बांग्लादेश (21%) और पाकस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं** ।

### वधियक की मुखय वशषतलएँ:

- नचले सदन में महलाओं को आरक्षण:**
  - वधियक में संवधन में **अनुच्छेद 330A** शामिल करने का प्रावधान कयल गयल है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लयल गयल है । यह लोकसभा में अनुसूचतल जातल/अनुसूचतल जनजातल के लयः सीटों के आरक्षण का प्रावधान करतल है ।
  - वधियक में प्रावधान कयल गयल कल महलाओं के लयः आरक्षण सीटें राज्यों या केंद्रशासतल प्रदेशों में वधलनन नरलवाचन क्षेत्रों में रलटेशन द्वारा आवंटतल की जा सकतल हैं ।
  - अनुसूचतल जातल/अनुसूचतल जनजातल के लयः आरक्षण सीटों में, वधियक में रलटेशन के आधार पर महलाओं के लयः एक-तहलई सीटें आरक्षण करने की मांग की गई है ।

■ **राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:**

- वधियक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षण सीटों में से एक-तहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी चाहिये तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षण होनी चाहिये।

■ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली में महिलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):**

- संविधान का [अनुच्छेद 239AA](#) केंद्रशासित प्रदेश दलिली को उसके प्रशासनिक और वधियी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।
- वधियक द्वारा [अनुच्छेद 239AA\(2\)\(b\)](#) में तदनुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दलिली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
- **आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद - 334A):**
- इस वधियक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षण करने हेतु परसिमन किया जाएगा।
- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तथितिक जारी रहेगा।

■ **सीटों का रोटेशन:**

- महिलाओं के लिये आरक्षण **सीटें प्रत्येक परसिमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।**

## वधियक के वरिोध में तरक:

- वधियक में केवल इतना कहा गया है कि यह "इस उद्देश्य के लिये **परसिमन की कवायद शुरू होने के बाद** पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा।" यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिस्सा मिलेगा।
- वर्तमान वधियक राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण **प्रदान नहीं करता है**। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो नचिले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंबित होना चाहिये।

**नोट:** वधियक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानूनों के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिये बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण वधियक के मामले में, वधियक में महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये 15 वर्ष के सनसेट क्लॉज़ का प्रावधान किया गया है।

कानूनी अंतरदृष्टि: [नारी शक्ति वंदन अधिनियम](#)